



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्त को 02 वर्ष 06 माह का साधारण कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सिसोलर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 55/1999 धारा- 25 आर्म्स एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय सीजेएम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त राकेश सिंह पुत्र भोला सिंह निवासी मुलसी थाना सिसोलर जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 02 वर्ष 06 माह का साधारण कारावास एवं ₹10,000 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



विशेष लोक
अभियोजक रणविजय
सिंह



विवेचक-
उ0नि0 बलवान
सिंह



पैरोकार
थाना - सिसोलर
हे0का0 धर्मेन्द्र मिश्रा